कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्थापन/एफ–6/विविध/2017 **दिनांक 02.09.19**

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा

विषयः– शून्य नामांकन वाले विद्यालयो में शिक्षको के पदस्थापित होने के संबंध में।
प्रसंगः– दैनिक भास्कर दिनांक 02.09.19 में प्रकाशित समाचार

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्थापन/एफ–6/सैट–अप/वो.2/2019 दिनांक 03.06.19 के द्वारा नवीन स्टाफिंग पैर्टन के तहत् विद्यालयो में आवश्यकता अनुसार शिक्षको के पदस्थापन बाबत निर्देशित किया गया था। इसी पत्र में आपको निर्देशित किया गया था कि किसी भी स्थिति में शून्य नामांकन वाले विद्यालयो में शिक्षको का पदस्थापन नही हो।

दैनिक भास्कर दिनांक 02.09.19 में प्रकाशित समाचार (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य में 58 विद्यालयो में 01 भी बच्चा नही है, किन्तु दो–दो शिक्षक कार्यरत है, तथा 429 विद्यालय ऐसे है जहां 20 से कम बच्चे है, किन्तु दो–दो शिक्षक कार्यरत है।

अतः निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त दोनो बिन्दुओ पर विस्तृत (यथा आपके जिलो में शून्य/20 से कम नामांकन वाले कितने विद्यालय है तथा उनमें कितने शिक्षक पदस्थापित है तथा क्यो?) तथ्यात्मक रिपोर्ट दोपहर 2.00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित करे। जिससे शासन को अवगत करवाया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

2/9/19
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त को प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्तानुसार सूचना समय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावाये जाने बाबत प्रबोधन करे।

2/9/19
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर